सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/ATY-1719/MP/392/2024-RO-BH **दिनांक: 20.07.2026**

कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-भोपाल,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
कलेक्ट्रेट, ए-ब्लॉक, पुराना सचिवालय,
भोपाल-462001, मध्य प्रदेश
ई-मेल: dmbhopal@nic.in

पुलिस आयुक्त, भोपाल,
कार्यालय पुलिस आयुक्त,
मालवीय नगर,
भोपाल-462001, मध्य प्रदेश
ई-मेल: pc.bhopal@mppolice.gov.in

विषय: दैनिक समाचार पत्र नवदुनिया में दिनांक 22.05.2024 को प्रकाशित खबर "पेड पर लटका मिला युवती का शव,पुलिस बोली खुदकुशी" के सम्बंध में आयोग द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 16.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
पत्रावली संख्या - NCST/ATY-1719/MP/392/2024-RO-BH

दैनिक समाचार पत्र नवदुनिया में प्रकाशित समाचार "पेड़ पर लटका मिला युवती का शव, पुलिस बोली खुदकुशी" के संबंध में दिनांक 16.06.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 16.06.2026
सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्रक-। के अनुसार।

2. प्रकरण दैनिक समाचार पत्र नवदुनिया में दिनांक 22.05.2024 को प्रकाशित समाचार के आधार पर आयोग द्वारा संज्ञान में लिया गया। प्रकाशित समाचार के अनुसार भोपाल के अवधपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरावाद खुर्द गांव में अनुसूचित जनजाति समुदाय की युवती संध्या उर्फ पूजा उईके, पुत्री परसराम उईके, उम्र लगभग 20 वर्ष, का शव पेड़ से लटका हुआ बरामद किया गया था। समाचार के अनुसार मृतका नूतन कॉलेज की छात्रा थी तथा वह अपने परिवार के साथ अमरावाद खुर्द गांव में निवास करती थी।
3. समाचार में प्रकाशित विवरण के अनुसार दिनांक 19.05.2024 को मृतका का भाई अपने कार्य पर चला गया था तथा सायं काल घर वापस आने पर संध्या घर पर नहीं मिली। परिजनों द्वारा पूछताछ करने पर नानी ने बताया कि वह कुछ समय में वापस आने की बात कहकर गई थी। पूरी रात उसके वापस नहीं आने के बावजूद परिजनों द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी। बाद में युवती का शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा प्रारंभिक रूप से आत्महत्या की संभावना व्यक्त की गई थी।
4. प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 27.05.2024 को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल तथा पुलिस आयुक्त, भोपाल को नोटिस जारी कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। आयोग के अभिलेखों के अनुसार पुलिस विभाग की ओर से आवश्यक कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराई गई है, तथापि कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल द्वारा आयोग को आज दिनांक तक कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5. सुनवाई के दौरान उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रतिवेदनों का परीक्षण किया गया। आयोग ने इस तथ्य पर गंभीर चिंता व्यक्त की कि आयोग द्वारा जारी नोटिस के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। आयोग ने यह भी अवलोकन किया कि अनुसूचित जनजाति समुदाय की युवती की मृत्यु से संबंधित प्रकरण में समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच किया जाना आवश्यक है।
6. सुनवाई में उपस्थित प्राधिकारी द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि प्रकरण में पुलिस द्वारा नियमानुसार जांच की गई है तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई है। आरोपी दीपक ऊईके के विरुद्ध सेक्शन 306 A आईपीसी का प्रकरण दर्ज किया गया था और उसे गिरफ्तार किया गया था।
7. मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आरोपी भी अनुसूचित जनजाति वर्ग का है। अतः मामला एससी /एसटी (PoA) ऐक्ट का नहीं है।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रतिवेदन के परीक्षण के उपरांत माननीय आयोग ने निम्न निर्णय/अनुशंसा की -

(i) पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की गई है। यह मामला अनुसूचित जनजाति विरुद्ध अनुसूचित जनजाति का होने के कारण आयोग में बंद किया जाता है।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

****

फाइल. सं. NCST/ATY-1719/MP/392/2024-RO-BH

दिनांक: 16.06.2026

विषय: दैनिक समाचार पत्र नवदुनिया में दिनांक 22.05.2024 को प्रकाशित खबर "पेड़ पर लटका मिला युवती का शव,पुलिस बोली खुदकुशी" के सम्बंध में आयोग द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 16.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2	श्री पूर्णेंदु कान्त	निदेशक		
3	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, जिला-भोपाल, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
कलेक्ट्रेट, ए-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल-462001, मध्य प्रदेश

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				

पुलिस आयुक्त, भोपाल, कार्यालय पुलिस आयुक्त,

मालवीय नगर, भोपाल-462001, मध्य प्रदेश

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	Manju Khatri	Addl DCP Bpl	9958014191	[signature]
2				
3				
4				